म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन अरेरा हिल्स, मेन रोड नम्बर 01, भोपाल

आदेश-पत्रिका

आदेश की तारीख

Project Name : Emerald Crescent Village Maya Khedi, Tehsil Kanadiya and District Indore (MP)

(Project Ref. Id : 557177718830) के पंजीयन के संबंध में।

14.07.2025

Project Name :Emerald Crescent Village Maya Khedi, Tehsil Kanadiya and District Indore (MP).

Project Reference Id :557177718830

Promoter Name : Agarwal Realinfra LLP , Agarwal House, 5, Yeshwant Colony, Y.N. Road, Indore (MP).

1– प्रस्तुत प्रकरण में प्राधिकरण के सूचना पत्र कमांक–3705 दिनांक 04.07.2025 से 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका दिनांक 14.07.2025 के अनुसार आवेदक द्वारा परियोजना के पंजीयन हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं एवं प्रकरण पंजीयन योग्य है।

2– आवेदक– Agarwal Realinfra LLP ; Agarwal House, 5, Yeshwant Colony, Y.N. Road, Indore (MP). हैं, जो कि Limited Liability Partnership फर्म श्रेणी के आवेदक हैं के द्वारा, परियोजना– Emerald Crescent Village- Maya Khedi, Tehsil- Kanadiya and District- Indore का पंजीयन भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू–संपदा (विनियिमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत पंजीयन अधिकारी की टीप के अनुसार आवेदक अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना Village- Maya Khedi, Tehsil- Kanadiya and District- Indore के खसरा न. 131/1/2, 134/1/3, 137/196/1, 137/196/2, 137/196/3/2, 138/2 and 138/3 कुल रकबा– 4.055 हेक्टेयर में से नेट प्लानिंग ऐरिया– 40533.58 वर्गमीटर पर प्रस्तावित हैं। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक Limited Liability Partnership फर्म के स्वामित्व की है तथा आवेदक Limited Liability Partnership फर्म द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी के अनुसार भाररहित है।

3– परियोजना नवीन हो कर भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें कुल रकबा– 4.055 हेक्टेयर में से नेट प्लानिंग ऐरिया– 40533.58 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रुपये 5603.45 लाख की लागत से विकसित की जानी हैं एवं परियोजना में सामान्य– 121 एवं वाणिज्यिक– 07 कुल 128 भूखण्ड विकसित किये जाने हैं। वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 31.03.2030 है, जो मान्य की जाती है। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्त्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा।

आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।

MD/1887/25 14/7/2025 15/7/25

[redacted] [redacted]

(सुरेन्द्र सिंह राजपूत)
सदस्य

[redacted] [redacted]

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Madhya Pradesh
Real Estate
Regulatory Authority

मध्यप्रदेश
भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष -0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email Id:- secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप-ग, नियम 6 (1) एवं 6 (2)

भू-संपदा परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिए दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक: **P-IND-25-5789**
परियोजना का नाम: *EMERALD CRESCENT*

परियोजना का पता: *LAND KHASRA NO. 131/1/2, 134/1/3, 137/196/1, 137/196/2, 137/196/3/2, 138/2 AND 138/3 ADMEASURING 4.053 HECTARES (NET PLANNING ARE A) OUT OF TOTAL LAND AREA OF 4.055 HECTARES, AT VILLAGE MAYA KHEDI, TEHSIL KANADIYA AND DISTRICT INDORE (MP)*

तहसील: *KANADIA* जिला: *INDORE* राज्य: *MADHYA PRADESH*

1. फर्म/सोसाईटी/कंपनी/ सक्षम प्राधिकारी की दशा में: *AGARWAL REALINFRA LLP*

2. सह-सम्प्रवर्तक:

3. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है:-

   i. संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियामक और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।

   ii. संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितिगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।

   iii. संप्रवर्तक अधिनियम की धारा- 4(2)(L)(D) के प्रावधान अनुसार आवंटितिगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।

   iv. परियोजना प्रारंभ दिनांक **15-Apr-2025** तथा पूर्णता दिनांक **31-Mar-2030** तक की होगी, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-6 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियामक और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार विस्तारित न कर दिया जावे।

   v. संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

   vi. संप्रवर्तक, जिस क्षेत्रों में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

4. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरूद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।

दिनांक:
स्थान: भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण